

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

 $PART\ II \\ -Section\ 3 \\ -Sub-section\ (i)$

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 888] No. 888] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2016/पौष 6, 1938 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2016/PAUSA 6, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1176(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण (फील्ड कलेक्टर), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण (फील्ड कलेक्टर), समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण (फील्ड कलेक्टर), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 1 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:
 - "(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण (फील्ड कलेक्टर), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 है।"
- 3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-
 - (i) स्तम्भ 2 के अधीन प्रविष्टि में, अंकों और कोष्ठकों "20(2014)" के स्थान पर, अंक और कोष्ठक "30(2015)" रखे जाएंगे:
 - (ii) स्तम्भ 4 में, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शीर्षक के स्थान पर, शीर्षक "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" रखा जाएगा;

5942 GI/2016 (1)

- (iii) स्तम्भ 4 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3" प्रविष्टियां रखी जाएगी;
- (iv) स्तम्भ 11 के अधीन "टिप्पण"के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अन्त: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

"टिप्पण 2: इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को नियमित आधार पर फीडर पदों को धारित करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा वही रहेगी।"

"टिप्पण 3: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।"

(v) स्तम्भ 12 के अधीन, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अन्त: स्थापित की जाएगी,अर्थातः—

"कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण-सदस्य।"

[फा. सं. 02/16/2012-सीएसजेड]

आर. दलवानी, सलाहकार (संरक्षण एवं सर्वेक्षण)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र,असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना. सं. सा.का.नि. 569(अ), तारीख 21 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIORNMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2016

- **G.S.R.** 1176(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Zoological Survey of India (Field Collector), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2014, namely:-
 - 1. (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India (Field Collector), Group 'C' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Zoological Survey of India (Field Collector), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India (Field Collector), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2015.".
 - 3. In the Schedule to the said rules,-
 - (i) in the entry under column (2), for the figures and brackets "20 (2014)", the figures and brackets "30 (2015)" shall be substituted;
 - (ii) in column (4), for the heading "Pay band and grade pay, pay scale", the heading "Level in pay matrix" shall be substituted;
 - (iii) for the entries under column (4), the entries "Level in the pay matrix-3" shall be substituted;
 - (iv) under column (11), after the "Note", the following Notes shall be inserted, namely:-

"Note 2:-The eligibility service shall continue to be the same for the persons holding the feeder posts on regular basis on the date of commencement of these rules.

Note 3:-For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.";

(v) under column (12), for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"Head of Office, Botanical Survey of India - Member.".

[F. No. 02/16/2012-CSZ]

R. DALWANI, Advisor

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 569(E), dated 21st July, 2015.